

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

TEN
RUPEES

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

प्रारूप-26
(नियम 4 क देखिये)

01AA 258233

59-बाजपुर निर्वाचन क्षेत्र से
उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा (सदन का नाम) के लिये निर्वाचन के लिये रिटर्निंग आफिसर के समक्ष
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने, वाला शपथपत्र

मैं अरविन्द पुत्र वीरेन्द्र आयु- 39 वर्ष जो चीनी गिल, मजरा बख्शा, वार्ड नं-9 बाजपुर जनपद-
उधमसिंहनगर का निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता
हूँ/शपथ पर निम्न लिखित कथन करता हूँ -

1. मैं ऐसे किसी ललित मामले में दो वर्ष या अधिक के करारवाला से दंडनीय किसी अपराध
(अपराधों) का अभियुक्त हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किये
गये है-

गु0सं0-1

- मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या - अपराध संख्या- 2390/2005
- पुलिस थाना- बाजपुर जिला- उधमसिंहनगर राज्य- उत्तराखण्ड
- सम्बन्धित अधिनियम की धाराएँ और उस अपराध का संक्षिप्त विवरण जिसके लिये अभ्यर्थी
आरोपित किया गया है-
धाराएँ- 147/323/504/506 आई0पी0सी0
एकत्र होकर बादी के साथ मारपीट करना, गाली भलीच करना व जान से मारने की धमकी
देना
- न्यायालय जिसके द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गयी- न्यायालय अपर सिविल जज
(जू0डि0) काशीपुर जिला -उधमसिंहनगर
- तारीख जिनको आरोप विरचित किया गया था/किये गये थे- न्यायालय द्वारा आरोप तय नहीं
किये गये हैं।
- क्या राभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गयी है -नहीं

कमरा-2-

1. 117 17

गु0सं0-2

- i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या - अपराध संख्या- 1312/2006
- ii) पुलिस थाना- बाजपुर जिला- उधमसिंहनगर राज्य- उत्तराखण्ड
- iii) सम्बन्धित अधिनियम की धाराएं और उस अपराध का संक्षिप्त विवरण जिसके लिये अग्रणी आरोपित किया गया है-
धाराएं- 147/341 आई0पी0सी0 7 सी0एल0ए0 एकट
एकत्र होकर मार्ग जाम करना, अपराधिक गतिविधि में शामिल होना।
- iv) न्यायालय जिसके द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गयी- न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0) काशीपुर जिला -उधमसिंहनगर द्वारा आरोप तय नहीं किये गये हैं।
तारीख जिनको आरोप विरचित किया गया था/किये गये थे- न्यायालय द्वारा आरोप तय नहीं किये गये हैं।
क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गयी है -नहीं

गु0सं0-3

- i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या - अपराध संख्या- 3267/2006
- ii) पुलिस थाना- बाजपुर जिला- उधमसिंहनगर राज्य- उत्तराखण्ड
- iii) सम्बन्धित अधिनियम की धाराएं और उस अपराध का संक्षिप्त विवरण जिसके लिये अग्रणी आरोपित किया गया है-
धाराएं- 147/341 आई0पी0सी0 7 सी0एल0ए0 एकट
एकत्र होकर मार्ग जाम करना, अपराधिक गतिविधि में शामिल होना।
- iv) न्यायालय जिसके द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गयी- न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0) काशीपुर जिला -उधमसिंहनगर द्वारा आरोप तय नहीं किये गये हैं।
- v) तारीख जिनको आरोप विरचित किया गया था/किये गये थे- न्यायालय द्वारा आरोप तय नहीं किये गये हैं।
- vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गयी है -नहीं

गु0सं0-4

- i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या - अपराध संख्या- 3268/2006
- ii) पुलिस थाना- बाजपुर जिला- उधमसिंहनगर राज्य- उत्तराखण्ड
- iii) सम्बन्धित अधिनियम की धाराएं और उस अपराध का संक्षिप्त विवरण जिसके लिये अग्रणी आरोपित किया गया है-
धाराएं- 147/341 आई0पी0सी0 7 सी0एल0ए0 एकट
एकत्र होकर मार्ग जाम करना, अपराधिक गतिविधि में शामिल होना।
- iv) न्यायालय जिसके द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गयी- न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0) काशीपुर जिला -उधमसिंहनगर द्वारा आरोप तय नहीं किये गये हैं।
- v) तारीख जिनको आरोप विरचित किया गया था/किये गये थे- न्यायालय द्वारा आरोप तय नहीं किये गये हैं।
- vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गयी है -नहीं

गु०सं०-5

- i) मागला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या - अपराध संख्या- 1309/2006
- ii) पुलिस थाना- बाजपुर जिला- उधमसिंहनगर राज्य- उत्तराखण्ड
- iii) सम्बन्धित अधिनियम की धाराएँ और उस अपराध का संक्षिप्त विवरण जिसके लिये अम्यर्था आरोपित किया गया है-
धाराएँ- 147/148/149/302 आई०पी०सी० 3(1)10 एस०सी०एस०टी० एक्ट
एकत्र होकर योजना बना हत्या की गतिविधि में शामिल होना, तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करना।
- iv) न्यायालय जिसके द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गयी- शून्य-
- v) तारीख जिनको आरोप विरचित किया गया था/किये गये थे- शून्य-
- vi) क्या सप्ती या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गयी है -शून्य-
नोट- उक्त मामले में शपथकर्ता के विरुद्ध पुलिस द्वारा कोई चार्ज शीट प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा मामले की जांच सी०बी०आई० द्वारा की जा रही है।

गु०सं०-6

- i) मागला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या - अपराध संख्या- 4/2004
- ii) पुलिस थाना- जी०आर०पी०काशीपुर जिला- उधमसिंहनगर राज्य- उत्तराखण्ड
- iii) सम्बन्धित अधिनियम की धाराएँ और उस अपराध का संक्षिप्त विवरण जिसके लिये अम्यर्था आरोपित किया गया है-
धाराएँ- 332/353/308/504/506 आई०पी०सी० 3(1)10 एस०सी०एस०टी० एक्ट व 146
रेलवे एक्ट
स्टेशन मास्टर बाजपुर के साथ अमद्रता तथा सरकारी कार्य में बाधा डालना, मारपीट करना तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करना।
- iv) न्यायालय जिसके द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गयी- न्यायालय जिला जज रुद्रपुर जिला -उधमसिंहनगर द्वारा आरोप तय नहीं किये गये हैं।
- v) तारीख जिनको आरोप विरचित किया गया था/किये गये थे- न्यायालय द्वारा आरोप तय नहीं किये गये हैं।
- vi) क्या सप्ती या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गयी है -नहीं

गु०सं०-7

- i) मागला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या - अपराध संख्या- 677/2001
- ii) पुलिस थाना- बाजपुर जिला- उधमसिंहनगर राज्य- उत्तराखण्ड
- iii) सम्बन्धित अधिनियम की धाराएँ और उस अपराध का संक्षिप्त विवरण जिसके लिये अम्यर्था आरोपित किया गया है-
धाराएँ- 147/148/149/307/504/506/427 आई०पी०सी० 7सी०एल०ए०एक्ट
एकत्र होकर अपराधिक गतिविधि के तहत जान से मारने की कोशिश करना तथा सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना।
- iv) न्यायालय जिसके द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गयी- न्यायालय जिला जज रुद्रपुर जिला -उधमसिंहनगर द्वारा आरोप तय किये गये हैं।

1317

- v) तारीख जिनको आरोप विरचित किया गया था/किये गये थे- न्यायालय द्वारा दिनांक- 01.11.2006 को आरोप तय किये गये हैं तथा न्यायिक प्रक्रिया जारी है।
- vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गयी है -
-नही

पु0रि0-0

- i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या - अपराध संख्या- 32/2003
- ii) पुलिस थाना- श्यामपुर जिला- हरिद्वार राज्य- उत्तराखण्ड
- iii) सम्बन्धित अधिनियम की धाराएं और उस अपराध का संक्षिप्त विवरण जिसके लिये अपयर्थी आरोपित किया गया है-
धाराएं- 332/353/342/504/506 आई0पी0सी0
सरकारी कर्मचारी के साथ अगदता तथा सरकारी कार्य में बाधा डालना, मारपीट करना तथा जान से मारने की धमकी देना।
- iv) न्यायालय जिसके द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गयी- न्यायालय अपर सिविल जज-प्रथम जिला -हरिद्वार द्वारा आरोप तय नहीं किये गये हैं।
- v) तारीख जिनको आरोप विरचित किया गया था/किये गये थे- न्यायालय द्वारा आरोप तय नहीं किये गये हैं।
- vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गयी है -
नही


पु0रि0-9

- i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या - अपराध संख्या- 1272/2005
- ii) पुलिस थाना- काठगोदाम जिला- नैनीताल राज्य- उत्तराखण्ड
- iii) सम्बन्धित अधिनियम की धाराएं और उस अपराध का संक्षिप्त विवरण जिसके लिये अपयर्थी आरोपित किया गया है-
धाराएं- 147/341 आई0पी0सी0 7 सी0एल0ए0 एक्ट
एकत्र होकर मार्ग जाम करना तथा अपराधिक गतिविधि में शामिल होना
- iv) न्यायालय जिसके द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गयी- न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी जिला -नैनीताल द्वारा आरोप तय नहीं किये गये हैं।
- v) तारीख जिनको आरोप विरचित किया गया था/किये गये थे- न्यायालय द्वारा आरोप तय नहीं किये गये हैं।
- vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गयी है -
नही

- 2- मुझे किसी अपराध(अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अर्न्तगत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिये शिद्ददोष नहीं उठराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दंडादिष्ट नहीं किया गया।
(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में शिद्ददोष उठराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)



- i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं -शून्य-
- ii) न्यायालय जिराने दण्डित किया -शून्य-
- iii) पुलिस थाना- शून्य- जिला- - शून्य- राज्य- -शून्य-
- iv) सम्बन्धित अधिनियम की धाराएं और उस अपराध का संक्षिप्त विवरण जिराके लिये अग्रणी कमी आरोपित किया गया है- -शून्य-
- v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था / सुनाये गये थे- शून्य-
- vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकया गया है -शून्य-



स्थान, बाजपुर
 तारीख 31.01.2007

सत्यापन

मैं ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपाई नहीं गयी है।

बाजपुर स्थान पर आज तारीख 31.01.2007 को सत्यापित किया गया ।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

Verified & Attested By

SRI. अभिसाक्षी
 THIS 31 DAY OF 2007

Sohan Lal Gohil 2007
 NOTARY PUBLIC
 B. No. 76/06/91
 BAZPUR, U.S. NAGAR

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

TEN
RUPEES

Rs.10



INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

01AA अनुबन्धी 258235

नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाला शपथपत्र

बाजपुर (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) निर्वाचन क्षेत्र से
विधान सभा- उत्तराखण्ड (सदन का नाम) के निर्वाचन के लिये

मैं अभ्यर्थी अरविन्द सुपुत्र श्री वीरेन्द्र आयु- 39 वर्ष निवासी चीनी गिल मजरा बख्श गार्ड नं-9 वहासील- बाजपुर जिला उधमसिंहनगर उपरोक्त निर्वाचन में सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान और निम्न प्रकार से एतद्वारा शपथ लेता हूँ :- (जो लागू न हो उसे काट दें)
1- निम्न लिखित मामला/मामले मेरे विरुद्ध लम्बित हैं, जिसकी न्यायालय को संज्ञान है।

सु0रं0-1

- सम्बन्धित अधिनियम की धाराएँ और उस अपराध का संक्षिप्त विवरण जिसका न्यायालय को संज्ञान है -
धाराएँ- 147/323/504/506 आईपीसी
एकत्र होकर वादी के साथ मारपीट करना, गाली गलौच करना व जान से मारने की धमकी देना
- न्यायालय जिसको संज्ञान है- न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0) काशीपुर जिला-उधमसिंहनगर
- मामला संख्या - अपराध संख्या- 2390/2005
- जानकारी रखने वाले न्यायालय के आदेश की तारीख- न्यायालय द्वारा कोई आरोप तय नहीं किया गया।
- संज्ञान रखने वाले उपरोक्त आदेश के विरुद्ध संशोधन के लिये दाखिल की गयी अपील/अपीलों/आवेदन/आवेदनों आदि, यदि कोई है के विवरण - नहीं-

क्रमश-2-

311

मु0सं0-2

- i) सम्बन्धित अधिनियम की धाराएं और उस अपराध का संक्षिप्त विवरण जिसका न्यायालय को संज्ञान है - धाराएं- 147/341 आई0पी0सी0 7 सी0एल0ए0 एकट एकत्र होकर मार्ग जाम करना, अपराधिक गतिविधि में शामिल होना।
- ii) न्यायालय जिसको संज्ञान है- न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0) काशीपुर जिला -उधमसिंहनगर
- iii) मामला संख्या - अपराध संख्या- 1312/2006
- iv) जानकारी रखने वाले न्यायालय के आदेश की तारीख- न्यायालय द्वारा कोई आरोप तय नहीं किया गया।
- v) संज्ञान रखने वाले उपरोक्त आदेश के विरुद्ध संशोधन के लिये दाखिल की गयी अपील/अपीलों/आवेदन/आवेदनों आदि, यदि कोई है के विवरण - नहीं-

मु0सं0-3

- i) सम्बन्धित अधिनियम की धाराएं और उस अपराध का संक्षिप्त विवरण जिसका न्यायालय को संज्ञान है - धाराएं- 147/341 आई0पी0सी0 7 सी0एल0ए0 एकट एकत्र होकर मार्ग जाम करना, अपराधिक गतिविधि में शामिल होना।
- ii) न्यायालय जिसको संज्ञान है- न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0) काशीपुर जिला -उधमसिंहनगर
- iii) मामला संख्या - अपराध संख्या- 3267/2006
- iv) जानकारी रखने वाले न्यायालय के आदेश की तारीख- न्यायालय द्वारा कोई आरोप तय नहीं किया गया।
- v) संज्ञान रखने वाले उपरोक्त आदेश के विरुद्ध संशोधन के लिये दाखिल की गयी अपील/अपीलों/आवेदन/आवेदनों आदि, यदि कोई है के विवरण - नहीं-

मु0सं0-4

- i) सम्बन्धित अधिनियम की धाराएं और उस अपराध का संक्षिप्त विवरण जिसका न्यायालय को संज्ञान है - धाराएं- 147/341 आई0पी0सी0 7 सी0एल0ए0 एकट एकत्र होकर मार्ग जाम करना, अपराधिक गतिविधि में शामिल होना।
- ii) न्यायालय जिसको संज्ञान है- न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0) काशीपुर जिला -उधमसिंहनगर
- iii) मामला संख्या - अपराध संख्या- 3268/2006
- iv) जानकारी रखने वाले न्यायालय के आदेश की तारीख- न्यायालय द्वारा कोई आरोप तय नहीं किया गया।
- v) संज्ञान रखने वाले उपरोक्त आदेश के विरुद्ध संशोधन के लिये दाखिल की गयी अपील/अपीलों/आवेदन/आवेदनों आदि, यदि कोई है के विवरण - नहीं-

मु0सं0-5

- i) सम्बन्धित अधिनियम की धाराएं और उस अपराध का संक्षिप्त विवरण जिसका न्यायालय को संज्ञान है - धाराएं- 332/353/308/504/506 आई0पी0सी0 3(1)10 एस0सी0एफ0सी0 एकट व 146 रेलवे एकट स्टेशन मास्टर बाजपुर के साथ अमद्रता तथा सरकारी कार्य में बाधा डालना, मारपीट करना तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करना।
- ii) न्यायालय जिसको संज्ञान है- न्यायालय जिला जज रूढ़पुर जिला -उधमसिंहनगर
- iii) मामला संख्या - अपराध संख्या- 4/2004
- iv) जानकारी रखने वाले न्यायालय के आदेश की तारीख- न्यायालय द्वारा कोई आरोप तय नहीं किया गया।
- v) संज्ञान रखने वाले उपरोक्त आदेश के विरुद्ध संशोधन के लिये दाखिल की गयी अपील/अपीलों/आवेदन/आवेदनों आदि, यदि कोई है के विवरण - नहीं-

17/3/11

मु0सं0-6

- i) सम्बन्धित अधिनियम की धाराएँ और उस अपराध का संक्षिप्त विवरण जिसका न्यायालय को संज्ञान है - धाराएँ- 147/148/149/307/504/506/427 आई0पी0सी0 7सी0एल0ए0एक्ट एकत्र होकर अपराधिक गतिविधि के तहत जान रो मारने की कोशिश करना तथा सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना।
- ii) न्यायालय जिसको संज्ञान है- न्यायालय जिला जज रुद्रपुर जिला -उधमसिंहनगर
- iii) मामला संख्या - अपराध संख्या- 677/2001
- iv) जानकारी रखने वाले न्यायालय के आदेश की तारीख- न्यायालय द्वारा दिनांक 01.11.2006 को आरोप तय किये गये।
- v) संज्ञान रखने वाले उपरोक्त आदेश के विरुद्ध संशोधन के लिये दाखिल की गयी अपील/अपीलों/आवेदन/आवेदनों आदि, यदि कोई है के विवरण - नहीं-

मु0सं0-7



- i) सम्बन्धित अधिनियम की धाराएँ और उस अपराध का संक्षिप्त विवरण जिसका न्यायालय को संज्ञान है - धाराएँ- 332/353/342/504/506 आई0पी0सी0 सरकारी कर्मचारी के साथ अमद्रता तथा सरकारी कार्य में बाधा डालना, मारपीट करना तथा जान रो मारने की धमकी देना।
- ii) न्यायालय जिसको संज्ञान है- न्यायालय अपर सिविल जज-प्रथम जिला -हरिद्वार
- iii) मामला संख्या - अपराध संख्या- 32/2003
- iv) जानकारी रखने वाले न्यायालय के आदेश की तारीख- न्यायालय द्वारा कोई आरोप तय नहीं किया गया।
- v) संज्ञान रखने वाले उपरोक्त आदेश के विरुद्ध संशोधन के लिये दाखिल की गयी अपील/अपीलों/आवेदन/आवेदनों आदि, यदि कोई है के विवरण - नहीं-

मु0सं0-8

- i) सम्बन्धित अधिनियम की धाराएँ और उस अपराध का संक्षिप्त विवरण जिसका न्यायालय को संज्ञान है - धाराएँ- 147/341 आई0पी0सी0 7 सी0एल0ए0 एक्ट एकत्र होकर मार्ग जाम करना तथा अपराधिक गतिविधि में शामिल होना
- ii) न्यायालय जिसको संज्ञान है- न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इल्हासी जिला -नैनीताल
- iii) मामला संख्या - अपराध संख्या- 1272/2005
- iv) जानकारी रखने वाले न्यायालय के आदेश की तारीख- न्यायालय द्वारा कोई आरोप तय नहीं किया गया।
- v) संज्ञान रखने वाले उपरोक्त आदेश के विरुद्ध संशोधन के लिये दाखिल की गयी अपील/अपीलों/आवेदन/आवेदनों आदि, यदि कोई है के विवरण - नहीं-

2- कि, मैं इसके द्वारा अपना पति/पत्नी तथा अपने आश्रितों की परिसम्पत्तियों (अचल/चल बैंक जमा आदि) का विवरण इसके नीचे दे रहा हूँ।

कमशा-4-

21/3/12

क) चल सम्पत्ति के विवरण-

(संयुक्त स्वाधित्त के विस्तार को बताते हुये संयुक्त नाम में परिसम्पत्तियों को भी बताना होगा)

क्रम सं०	विवरण	रकम अरविन्द	पति/पत्नी का नाम मतेश	आश्रित-1 का नाम अतुल	आश्रित-2 का नाम अंकुर	आश्रित -3 का नाम आदि
1-	नकद	25000.00	10000.00	शून्य	शून्य	शून्य
2-	बैंक, वित्तीय संस्थानों और गैर बैंकिंग कम्पनियों में जमा धनराशि	1-एस0बी0आई0 देहरादून में जमा रू0 2.32लाख। 2-यू0पी0को0 बैंक वाजपुर में जमा रू0 0.13 लाख। 3- कु0न0रा0बैंक में जमा रू0- 0.01 लाख।	1-यू0पी0को0 बैंक वाजपुर में जमा रू0 0.01 लाख।	शून्य	शून्य	शून्य
3-	कम्पनियों में बॉण्ड, डिबेन्चर और शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4-	अन्य वित्तीय साधनों एन0एस0एस0, डेब्ट, एल0आई0सी0 पातिरी आदि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5-	मोटर वाहन (कम्पनी माडल आदि का विवरण)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6-	गहने (भार तथा कीमत का विवरण दें)	शून्य	10 तोले खोना (जेवरात) कीमत 90000/-	शून्य	शून्य	शून्य
7-	अन्य परिसम्पत्तियों जैसे दावे की कीमत/ ब्याज	आरा मशीन अनुमानित निवेश लगभग- 2.00 लाख रुपये	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी- सूचीबद्ध कम्पनियों के सम्बन्ध में बॉण्ड/शेयर/डिबेन्चर की कीमत, स्टाक एक्सचेंज की अद्यतन बाजार कीमत के अनुसार तथा गैर सूचीबद्ध कम्पनियों के मामले में खातों के अनुसार दी जाये।

* आश्रित से तात्पर्य अभ्यर्थी की आय पर वह व्यक्ति पूर्णतया आश्रित है।

- 3- मैं सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं और सरकारी देनदारियों को बकाया अपनी देयताओं/अतिदेयताओं का विवरण नीचे दे रहा हूँ-
(टिप्पणी--कृपया प्रत्येक मद के लिये अलग विवरण दें)

क्रम सं०	विवरण	बैंक/वित्तीय (संस्थान/संस्थानों/विभाग (विभागों) का नाम व पता)	दिनांक को बकाया राशि
(क) i-	बैंक से ऋण	शून्य	शून्य
ii-	वित्तीय संस्थानों से ऋण	शून्य	शून्य
iii-	सरकारी देयताएँ		
	अ) सरकारी आवास से सम्बन्धित विभागों के बकाये-	शून्य	शून्य
	ब) जल आपूर्ति से सम्बन्धित विभागों के बकाये	शून्य	शून्य
	स) विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित विभागों के बकाये	शून्य	शून्य
	द) टेलीफोन से सम्बन्धित विभागों के बकाये	शून्य	शून्य
	त) सरकारी परिवहन (एयर क्राफ्ट एवं हेलीकॉप्टर सहित) से सम्बन्धित विभागों के बकाये	शून्य	शून्य
	थ) अन्य बकाये यदि कोई हों	शून्य	शून्य
(ख) i-	अभिभार सहित आयकर (जिस वर्ष तक आयकर विवरणी दाखिल की गयी, उस निर्धारण वर्ष का भी उल्लेख करें। अपना स्थाई लेखा नम्बर (पी०ए०एन०)(पीन) भी दें)	शून्य	शून्य
ii-	घनकर (घन की विवरणी किस निर्धारण वर्ष तक दाखिल की गयी उसका भी उल्लेख करें)	शून्य	शून्य
iii-	विक्रीकर (केवल, साम्प्रतिक, व्यवसाय के मामले में)	शून्य	शून्य
iv-	साम्प्रतिकर	शून्य	शून्य

- 4- मेरी शैक्षिक योग्यताएँ निम्न लिखित हैं-
(स्कूल/विश्वविद्यालय का नाम तथा वर्ष (स्कूल तथा विद्यालय का विवरण दें) का विवरण भी अवश्य दें, जिस वर्ष वह कोर्स पूरा किया गया था)

बी०ए०, कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल। उत्तीर्ण वर्ष- 1993

सत्यापन :-

मैं उपरोक्त नाम का अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापित करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय वस्तु मेरे विश्वास में और जानकारी में सत्य और सही है और इसका कोई भी भाग गलत नहीं है और कुछ भी महत्वपूर्ण इसमें छिपाया नहीं गया है।

वर्ष-2007 के माह-जनवरी, तारीख-31 दिन-बुधवार को राजपुर स्थान पर सत्यापित किया गया।

Verified & Authenticated By
SRI. उत्तीर्ण
THIS 31 DAY 01 OF 2007

Sohan Lal
NOTARY PUBLIC
P. No. 76/06/91
GAZPDR, U.S. NAGAR

अभिसाक्षी-

ख) अचल परिसम्पत्तियों का विवरण-

(टिप्पणी : संयुक्त स्वामित्व की सम्पत्ति में संयुक्त स्वामित्व के विस्तार का भी उल्लेख किया जाये)

क्रम सं०	विवरण	स्वयं अरविन्द	पति/पत्नी का नाम मतोश	आश्रित-1 का नाम अतुल	आश्रित-2 का नाम अंकुर	आश्रित-3 का नाम आदि
1-	कृषि भूमि - स्थिति (स्थितियां) सर्वेक्षण सं०- विस्तार(कुल माप) वर्तमान बा०मू०	शून्य शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य शून्य
2-	गैर कृषि भूमि - स्थिति (स्थितियां) सर्वेक्षण सं०- विस्तार(कुल माप) वर्तमान बा०मू०	शून्य शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य शून्य
3-	भावन (व्यवसायिक और आवासीय) स्थिति (स्थितियां) सर्वेक्षण सं०- विस्तार(कुल माप) वर्तमान बा०मू०	शून्य शून्य शून्य शून्य	एक आवासीय भू-खण्ड बाके वार्ड न०-7 तहसील बाजपुर रकबा लगभग 1.50 लाख रु०	शून्य शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य शून्य
4-	भवन/अपार्टमेंट आदि स्थिति (स्थितियां) सर्वेक्षण सं०- विस्तार(कुल माप) वर्तमान बा०मू०	शून्य शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य शून्य	शून्य शून्य शून्य शून्य
5-	अन्य (सम्पत्तियों के अंश आदि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य